कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक– एफ 3(ए)( )शिक्षा/सीटीएडी/2018–19 /21966-71/ दिनांक : 22.06.2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, कोटा/बारां ।

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
डूंगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ/उदयपुर।

विषयः– बहुउददेशिय बालिका छात्रावास में प्रवेश के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

विभाग द्वारा पूर्व में बहुउददेशिय बालिका छात्रावास में छात्राओं के प्रवेश हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अतिकमण में निम्नानुसार प्रवेश हेतु नवीन दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है:–

1. बहुउददेशिय छात्रावास में उन छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा, जिनके अभिभावक/ माता–पिता जिला मुख्यालय पर नही रहते है व उनके अभिभावक/माता–पिता का जिला मुख्यालय के 5 कि.मी के दायरे में स्वय का मकान नही हो।
2. जिन छात्राओं के माता–पिता आयकरदाता नही है उन्ही छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा।
3. प्रवेश में बी.पी.एल परिवार एवं विधवा महिलाओं की लडकियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. बहुउददेशीय छात्रावास में प्रवेश हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जावे :–

(i) सम्बन्धित जिले का परियोजना अधिकारी, टीएडी।

(ii) अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय परियोजना अधिकारी, टीएडी।

(iii) जिला कलक्टर का प्रतिनिधि

(iv) बहुउददेशिय छात्रावास वार्डन।

5. छात्रावास में प्रवेश हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ एवं प्रवेश परीक्षाओं हेतु छात्राओं के कॉलेज स्तर की परीक्षाओं में प्राप्त अंको के व उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान रखकर मेरीट के आधार पर निम्नानुसार प्रवेश सुनिश्चित करावे।

1\. कक्षा 12वी के बाद आईआईटी–जेईई/नीट व अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु 60 प्रतिशत सीटे आरक्षित रखी जावे। शेष 40 प्रतिशत सीटे स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं के लिए उपलब्ध रहेगी ।

2\. प्रतियोगी व अन्य प्रवेश परीक्षा तैयारी हेतु प्रथम बार आवेदन माह जून में एवं सत्र के मध्य स्थान रिक्त रहने की स्थिति में पुनः माह अक्टूबर में आवेदन किया जा सकेगा । आरक्षित एवं अनारक्षित कोटे में प्रवेश सम्बन्धी निर्णय गठित कमेटी द्वारा लिया जावेगा । जून में प्रवेश समय कक्षा 12 एवं स्नातक उर्तीण छात्राओं हेतु कमशः 60 प्रतिशत एव 40 प्रतिशत सीटो का अनुपात रखा जाएगा। अक्टूबर में पुनः प्रवेश के समय स्थान रिक्त रहने पर इस अनुपात को कमेटी की सहमति से परिवर्तित किया जा सकेगा।

3\. प्रवेश के लिए कक्षा 12वी या स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरीट तैयार कर चयन किया जावेगा । 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

4\. बहुउददेशीय छात्रावास में आईआईटी–जेईई/नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की तैयारी हेतु प्रथमतः एक वर्ष हेतु ही प्रवेश दिया जायेगा। यदि छात्राएँ प्रथम प्रयास में सफल नही होती है एवं पुनः आईआईटी–जेईई/नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की तैयारी हेतु छात्रावास में प्रवेश लेना चाहती है तो ऐसी छात्राओं के प्रस्ताव तैयार कर एक वर्ष पश्चात् पुनः प्रवेश देने सम्बन्धित प्रकरण समिति को स्वीकृति हेतु भिजवाए। किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

5\. यदि उपरोक्तानुसार निर्धारित की गई सीटों पर स्थान रिक्त रहते है, तो प्रवेश समिति अपने स्तर पर अन्य प्रवेश/प्रतियोगी परीक्षा की छात्राओं को प्रवेश देने हेतु निर्णय लेकर रिक्त सीटों को भर सकेगी।

6\. कॉलेज में **सामान्य शिक्षा** में अध्ययनरत छात्राओं को बहुउददेशिय छात्रावास में प्रवेश नही दिया जायेगा।

7\. छात्रावास में अनुशासनहीनता करने वाली छात्राओं को कमेटी स्तर पर निर्णय लेकर छात्रावास से निष्कासित किया जावेगा ।

(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त